2021/280

फर्द अहकाम

मेवा बनाम रामजीलाल

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 133/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 01/11/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं.1 स्वयं उपस्थित। अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 25.11.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी सं.1 स्वयं उपस्थित। प्रार्थनापत्र 7 व पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2.12.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
2/12/22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। उभयपक्षों की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली मय दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 380/2 रकबा 0.1897 है. व खसरा नम्बर 380/6 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 2, रकबा 0.4426 है. ग्राम बाँसखोह, पटवार हल्का बाँसखोह, (हस्ताक्षर)	

2021/290

फर्द अहकाम

मेवा बनाम रामजीलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 133/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है विद्वान उभयपक्षकारान की बहस के दौरान जाहिर तथ्यों, अभिकथनों एवं पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर (पूर्व) व I.L.R. बांसखोह से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान पर कब्जा वादी का नहीं है अपितु प्रतिवादी रामजीलाल और उसके पारिवारिक सदस्यों का है। मुताबिक रिपोर्ट यह कब्जा लगभग 50 वर्ष पुराना है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां वादी का कब्जा ही प्रमाणित ना हो वहां वादी के हित में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता अपितु काबिज व्यक्तियों (प्रतिवादी व अन्य) को धारा 212 की आड़ में बेदखल करने से अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना एवं सुविधा का संतुलन तीनों ही प्रार्थी/वादी के पक्ष में नहीं है। अतः काबिज व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना यथोचित Sd.

2021/290

फर्द अहकाम

मेवा बनाम रामजीलाल

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 133/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	और न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। उभयपक्षकारान के हक व अधिकारों का निर्णय, मूलवाद में विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत साक्ष्यों की गुणवत्तानुसार किया जाएगा। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने से न्यायहित में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)	